



23/3/26

वकील पार्थी द्वारा प्रा० पत्र  
पेश करने पर पत्रावली आज पेशी  
में ली गई।

वकील वादी / उभयपक्ष उप०। वकील वादी ने प्रा०  
पत्र पेश कर वाद को विद्वा / ~~नोट प्रेस~~ में खारिज  
किए जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली का  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैसला नं. से कम की जाकर दाखल  
दफ्तर हो।